उ-प्र-जे
29/10/2024

संख्या-I/ 781606 /2024

प्रेषक,

राजेश कुमार-II,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ:दिनांक-28-10-2024

विषय- एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली 2021 के अनुसार खेल कलबों / अकादमियों को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में मानक/अर्हता निर्धारण।

महोदय,

कृपया एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाडियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) नियमावली,2021 विषयक शासनादेश संख्या-2383/बयालिस -2021 - 249(विविध)/ 2017 दिनांक 30.12.2021 के साथ संलग्न नियमावली में नियम-4 के अन्तर्गत बिन्दु-(5) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें एकलव्य क्रीड़ा कोष से खेल क्लबों/ अकादमियों को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का उल्लेख है, किन्तु प्रश्नगत सहायता दिये जाने हेतु नियमावली में खेल क्लबों/ खेल अकादमियों की अर्हता का कोई भी मानक, नियम व आधार निर्धारित नहीं है। अतएव एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त खेल क्लबों/ अकादमियों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु अर्हता एवं आधार निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) आवेदनकर्ता खेल क्लब/अकादमी उत्तर प्रदेश राज्य के सीमा में स्थापित एवं कार्यरत हो।

(2) (क) उक्त को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के खेलो इण्डिया सेन्टर के माध्यम से मान्यता प्राप्त हो।

अथवा

(ख) उक्त खेल क्लब/अकादमी द्वारा ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक खेल के प्रतिभागी/पदक विजेता खिलाड़ियों को नियमित रूप से और वर्ष में कम से कम 180 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हो।

(3) उपरोक्तानुसार अर्ह खेल क्लब/अकादमी को प्रतिमाह रू0 1.50 लाख (रूपया एक लाख पचास हजार मात्र) की दर से एक वर्ष के लिए अधिकतम रू0 18.00 लाख तक वित्तीय सहायता देय होगी।

(4) आवेदन प्रस्तुत करने, उसका परीक्षण करने और निस्तारण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो इस नियमावली, 2021 के अन्तर्गत अन्य के लिए निर्धारित है।

सं०नि०

28/10/24

श्री लोकेन्द्र

28/10/24

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया खेल क्लबों/ अकादमियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Rajesh Kumar
Date: 28-10-2024 10:20:59
(राजेश कुमार-II)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4- समस्त अध्यक्ष एवं सदस्य, एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाडियों का प्रोत्साहन तथा सवर्द्धन) नियमावली, 2021 '' ।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Hriday Narayan Singh Yadav
Date: 28-10-2024 11:10:57
(हृदय नारायण सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।